रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 506] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 1981/कार्तिक 20, 1903
No. 506] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 1981/KARTIKA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1981

का० आ० 796(अ).—वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 64 की उपधारा (1) के परन्तुक के अनुसरण में एक सूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् कारण बताओं सूचना कहा गया है) यह उल्लिखित करते हुए कि केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि :—

(i) पंजाब वक्फ बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का अनुपालन करने में असमर्थ रहा है जिसका ब्यौरा कारण बताओं सूचना के उपबन्ध 1 में दिया गया है ;

(ii) बोर्ड ने अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का अनुपालन करने के में बार-बार व्यतिक्रम किया है जिसका ब्यौरा कारण बताओं सूचना के उपाबन्ध 2 में दिया गया है; और

(iii) बोर्ड ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण/दुरुपयोग किया है जिसका ब्यौरा कारण बताओं सूचना के उपाबन्ध 3 में दिया गया है ;

बोर्ड को 3 अक्तूबर, 1981 को जारी की गई थी और उसकी उसी तारीख को बोर्ड के अध्यक्ष पर सम्यक रूप से तामील हो गई थी ;

और कारण बताओं सूचना में बोर्ड से यह अपेक्षा की गई थी कि वह उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर यह हेतुक वर्णित करे कि अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को अधिक्रांत करने हुए अधिसूचना क्यों न जारी की जाए ;

और पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से कुछ दिन पहले बोर्ड के अध्यक्ष से समय की वृद्धि के लिए एक निवेदन प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय सरकार ने, विशेष मामले के रूप में, 10 नवम्बर, 1981 तक समय बढ़ा दिया था और यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केन्द्रीय सरकार समय की और वृद्धि के लिए कोई निवेदन ग्रहण नहीं करेगी ;

और बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने 8 नवम्बर, 1981 के पत्र द्वारा, जो 10 नवम्बर 1981 को प्राप्त हुआ था, केवल समय की और वृद्धि के लिए कहा है और बोर्ड ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है या कोई आक्षेप नहीं किया है या कोई हेतुक वर्णित नहीं किया है कि उसको क्यों न अधिक्रांत किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 4/3/73—वक्फ, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ पठित अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड को

तीन मास की अवधि के लिए जो तुरन्त प्रभावी होगी, अधिक्रांत करती है और यह निदेश देती है कि सभी ऐसी शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और अनुपालन, जिनका प्रयोग या अनुपालन अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उसके अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, अधिक्रमण की पूर्वोक्त अवधि के दौरान श्री एस० सी० धोसीवाल, आई० ए० एस०, उप आयुक्त, अम्बाला द्वारा किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से,

[सं० 4(13)/81-वक्फ]

ए० के० श्रीनिवासमूर्ति,

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 1981

S. O. 796(E).—Whereas in pursuance of the proviso to sub-section (1) of section 64 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954) (hereinafter referred to as the 'Act') a notice (hereinafter referred to as the 'show cause notice') stating that it has come to the notice of the Central Government that the Punjab Wakf Board (hereinafter referred to as the 'Board')—

(i) has been unable to perform the duty imposed on it by or under the Act as detailed in Annexure I to the show cause notice;

(ii) has persistently made default in the performance of the duty imposed on it by or under the Act as detailed in Annexure II to the show cause notice; and

(iii) has exceeded/abused its powers as detailed in Annexure III to the show cause notice,

was issued to the Board on the 3rd day of October, 1981 and was duly served on the Chairman of the Board on the same date;

AND WHEREAS the show cause notice required the Board to show cause within a period of 30 days from the date of its receipt why a notification superseding the Board under sub-section (1) of section 64 of the Act should not be made;

AND WHEREAS a few days before the expiry of the aforesaid period of 30 days a request was received from the Chairman of the Board for extension of time and the Central Government granted extension of time, as a special case, upto the 10th day of November, 1981 and also made it clear that the Central Government would not entertain any request for further extension of time;

AND WHEREAS the Chairman of the Board has by her letter dated November, 8, 1981, which has been received on the 10th November, 1981 only asked for further extension of time and the Board has not offered any explanation or raised any objections or shown any cause why it should not be superseded;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 64 of the Act read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf dated 30-12-1975, the Central Government hereby supersedes the Board for a period of three months with immediate effect and directs that all the powers and duties which may, by or under the provisions of the Act be exercised or performed by or on behalf of the Board shall, during the aforesaid period of supersession, be exercised and performed by Shri S. C. Dhosiwal, I. A. S. Deputy Commissioner, Ambala.

By order and in the name of the President of India.

[No. 4 (13)/81-Wakf]

A. K. SRINIVASAMURTHY,

Joint Secretary and Legislative Counsel

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981